

प्रपत्र

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

संवा में,

प्रबन्धक,

लखनऊ पब्लिक स्कूल,

विराटखण्ड-4, गौमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक/बेसिक-एस0टी0/ 5320

/2014-15, दिनांक: दिसम्बर -26- 2014

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को तारीख 1-7-2014 से 30-6-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जू0हा0स्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिधति, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-मासाल्टी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सवृत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कताप्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- विद्यालय परिषद का क्षेत्र- 4758 वर्गमीटर
 पत्र निर्माण क्षेत्रफल- 14990 वर्गमीटर
 कोठारखल का क्षेत्रफल- पर्याप्त
 कक्षाओं की संख्या- 10
 प्राध्यापक के कार्यालय-सह भंडार के लिए कक्ष-04
 बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-पृथक-पृथक है।
 भोजन सुविधा-उपलब्ध है।
 मिठ में गैर पकाने के लिए रसोई-1
 वाद्य रहित बहूच-प्राप्त है।
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुरतकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
- 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बनाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक88 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय को साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रियाओं को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।
- 17-शासनादेश दिनांक:08-05-2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 लखनऊ

संशोधन तिथि-उक्तवत।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1-जिलाधिकारी,लखनऊ।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
- 3-सचिव उ.प्र.बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
- 4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)पष्ट मण्डल,लखनऊ।
- 5-जिला समार/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधि०,लखनऊ।
- 6-सम्बन्धित चण्ड शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
- 7-विद्यालय मार्ग फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 लखनऊ

Principal
 Lucknow Public School
 Virat Khari-4
 Gomti Nagar, Lucknow